

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर

G-3, Raj Mahal Residency Area, Civil Line Phatak, Jaipur

क्रमांक: प.6 लेखा/ESCBS/जेसीटीएसएल/डीएलबी/2018-19/3833

दिनांक: 12/03/2019

--स्वीकृति आदेश--

बाह्य सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट GEF-V, Efficient and Sustainable City Bus Service Project (ESCBS) के अन्तर्गत भारत सरकार के स्वीकृति आदेश क्रमांक F. No. 53(2)PF-S/2018-1230 Date. 21.11.18 एवं 959 दिनांक 18.09.2018 से प्राप्त पुर्नभरण क्लेम की अनुदान राशि क्रमशः रु. 182.63 लाख एवं 1.87 लाख कुल 184.50 लाख (अक्षरें रु. एक करोड़ चौरासी लाख पचास हजार मात्र) जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लि. (JCTSL) के निजी निक्षेप खाते में हस्तान्तरण निम्नानुसार किये जाने की महामहिम राज्यपाल महोदय की ओर से प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है-

(राशि लाख रु. में)

विकलेय मद	जारी की जाने वाली राशि
मांग संख्या - 29	
2217- शहरी विकास	
05 - अन्य शहरी विकास योजनाएं	
190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को सहायता	
(03) - ग्लोबल एन्वायरमेंट फेसिलिटी	
1011 - जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	
12 - सहायताार्थ अनुदान (गैर सवैतन) (केन्द्रांश)	184.50
कुल योग	184.50

उक्त राशि हस्तांतरण की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों के अध्याधीन जारी की गई है-

1. उक्त राशि का उपयोग संबंधित प्रयोजन के लिए किया जावेगा। किसी भी परिस्थिति में अन्य प्रयोजनार्थ उपयोग में ही नहीं ली जावेगी।
2. राशि का उपयोग योजना के संबंधित दिशा निर्देशों एवं भारत सरकार की प्राप्त उक्त स्वीकृतियों के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावेगा।
3. विभाग राशि का व्यय करते समय RTPP Act 2012 /Rules 2013 एवं तत्संबंधित नियमों/निर्देशों एवं निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना किया जाना सुनिश्चित करेगा।
4. उक्त प्रोजेक्ट हेतु भविष्य में भारत सरकार द्वारा जारी पुर्नभरण क्लेम की अनुदान राशि प्राप्त होने की तिथि से 07 दिवस में हस्तांतरित करवाया जाना सुनिश्चित करे। अन्यथा विलम्ब की स्थिति में उत्तरदायित्व निर्धारित किया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-3) विभाग की आई.डी क्रमांक 171900149 दिनांक 28.02.2019 द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक: प.6 लेखा/ESCBS/जेसीटीएसएल/डीएलबी/2018-19/3833-45 दिनांक: 12/03/2019
प्रतिलिपि: सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
3. महालेखाकार (लेखा एवं हक)/(लेखा परीक्षा-प्रथम/द्वितीय), राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग, राज0 जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-3) विभाग, राज0 जयपुर।
7. प्रबंध निदेशक, जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड, जयपुर।
8. निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राज0 जयपुर को 05 अतिरिक्त प्रतियों में प्रेषित कर निवेदन है कि राशि रु. 184.50 लाख (अक्षरें रु. एक करोड़ चौरासी लाख पचास हजार मात्र) जयपुर शहरी परिवहन सेवा लिमिटेड, जयपुर के निजी निक्षेप खाता संख्या 5746 में हस्तान्तरित करने का श्रम करावे।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
10. प्रभारी वेबसाइट/समन्वयक सी.एम.ए.आर. को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
11. प्रभारी अंक मिलान शाखा।



(एस.आर.मौणा)

परियोजना निदेशक